न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

निगरानी संख्या 14/2021

पुरूषोतम लाल टिबड़ेवाला उम्र 66 साल पुत्र स्व0 श्री बनवारी लाल टिबड़ेवाल, जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 39, छावनी बाजार झुन्झुनू।

—निगरानीकार—

बनाम

1. ग्राम पंचायत भीमसर अन्तर्गत पंचायत समिति झुन्झुनू जरिये ग्राम सेवक ग्राम पंचायत भीमसर, तहसील व जिला झुन्झुनू।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत भीमसर, तहसील व जिला झुन्झुनू।
3. विजेन्द्र टीबड़ा पुत्र स्व. बाबुलाल जाति महाजन, निवासी ग्राम भीमसर हाल निवासी तेतरवाल धर्मकांटा के सामने, मान नगर रोड़ नम्बर 3, तहसील व जिला झुन्झुनू।
4. नन्द किशोर टीबड़ा पुत्र स्व. बाबुलाल जाति महाजन, निवासी ग्राम भीमसर, हाल निवासी नई नगर परिषद् के सामने, संतोषी माता मन्दिर के पास, सीकर।
5. रमाकांत टीबड़ा उम्र व्यस्क पुत्र स्व. बाबुलाल जाति महाजन, निवासी भीमसर हाल निवासी बंसत विहार, जिला कलक्टर आवास के पास सीकर, तहसील व जिला सीकर।

—गैर निगरानीकारान—

निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 22.01.2018 ग्राम पंचायत भीमसर, प्रस्ताव संख्या 2 बाबत दिये जाने पट्टा गैरनिगरानीकार संख्या 03 लगायत 05।

उपस्थितिः—

1. श्री मनोज कुमार शर्मा, एडवोकेट.....निगरानीकार की ओर से।
2. श्री जहीर मोहम्मद, एडवोकेट.गैर निगरानीकार संख्या 3 लगायत 5 की ओर से।

—निर्णय— दिनांक : 11.6.2025

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम भीमसर में एक आबादी भूमि जिसके पूर्व में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

आम रास्ता पश्चिम में बसन्तलाल द्वारकादास का मकान उतर में मस्जिद व बाड़ा अली खां व गुवाड़ी खातीयान है। दक्षिण में पट्टेशुदा जमीन हजारीमल व नोहरा हजारीमल अवस्थित है। ग्राम भीमसर में दो व्यक्ति सगे भाई बाबुलाल व बनवारी लाल टिबड़ेवाल हुए। बाबुलाल के कुल पुत्रगण जगदीश प्रसाद, पवन कुमार, गोपाल, महेश, रविन्द्र, विजेन्द्र, नन्दकिशोर तथा रमाकान्त हुए तथा बनवारीलाल टिबड़ेवाल के महावीर प्रसाद, पुरूषोतम, ओमप्रकाश, चिरंजीलाल, सुरेश कुमार, अशोक कुमार, रामस्वरूप तथा राकेश हुए। उपरोक्त वर्णित चर्तुसीमा की जमीन के लिए हजारीमल ने न्यायालय सिविल जज में दावा 29.01.1966 को पेश किया जिसमें बाबुलाल व बनारसीलाल भी पक्षकार थे उन्होने दिनांक 02.03.1966 को जवाब दावा दिया जिसका दिनांक 08.05.1971 को निर्णय डिक्री हुई ओर दिनांक 17.10.1974 को जिला न्यायाधीश झुन्झुनू से अपील बाबुलाल बनारसीलाल की खारिज हो गई। इस प्रकार जमीन मुतदाविया में बनवारीलाल व बाबुलाल का शामलाती हिस्सा रहा जो आज भी चला आ रहा है। शामलाती कब्जा व मालिकाना हक है यहां यह भी उल्लेखनिय है कि बाबुलाल के पुत्र पवन कुमार भीमसरिया जो अपने आपको दंबग व हनुमान जी भक्त बताकर जमीनों पर नाजायज कब्जे करने का आदि रहा है। उसकी पुत्रवधु नीरू टिबड़ा सरपंच थी उसी दौरान वादग्रस्त भूमि जिसका दिवानी न्यायालय से फैसला हो चुका था के 3 पट्टे प्रस्ताव संख्या 2 आदेश दिनांक 22.01.2018 द्वारा अपने काका ससुर विजेन्द्र, नन्दकिशोर व रमाकान्त के हक में बना दिये जो पंचायतीराज अधिनियम के विरूद्ध तथा सरासर गैर कानूनी आदेश के तहत बनाए गए जिसका दिनांक 22.12.2020 ग्राम भीमसर में मस्जिद वालों के साथ पत्थरबाजी होने पर तथा मौके पर राज की मदद से टिन शैड लगाने के कारण निगरानीकार को पता चला। प्रकरण में विवादित भूमि पर अदालत में दिवानी मुकदमा चल चुका है तथा न्यायालय ने अपने निर्णय तथा डिक्री में बनवारी लाल व बाबुलाल का शामलाती हिस्सा माना हो ऐसी सम्पति को अकेले बाबुलाल की पौत्र वधु नीरू टिबड़ा तत्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत भीमसर ने अपने दुसरे दादा ससुर बनवारीलाल का हिस्सा हड़प कर व सिरे से दर किनार करके बाला–बाला, चुपचाप बेईमानी पूर्वक तथा विधि व नियम विरूद्ध गैर कानूनी रूप से अपने चाचा ससुर विजेन्द्र, रमाकान्त व नंदकिशोर के नाम पट्टे जारी किये है। ग्राम पंचायत ने खाली भूमि को नाजायज व गलत रूप से आवासीय व मकान होना बताकर पट्टे जारी किये है। जो कि शामलाती कब्जे की भूमि थी। निगरानीकार उक्त भूमि में सहहिस्सेदार है। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत भीमसर के प्रस्ताव संख्या 2 आदेश दिनांक 22. 01.2018 बाबत दिये जाने पट्टा बहक गैर निगरानीकार संख्या 3 लगायत 5 अपास्त फरमाया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

निगरानी न्यायालय में प्रस्तुत होने पर गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 5 को नोटिस भेजकर तामील की गई। रिकार्ड ग्राम पंचायत भीमसर तलब किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई। गैर निगरानीकार संख्या 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी के तथ्यों हुए कथन किया कि गैर निगरानीकार संख्या 3 लगायत 5 ने गैर निगरानीकार संख्या 2 से साज कर निगरानीकार के सामुहिक हिस्से की भूमि का पट्टा जारी कर पंचायतीराज अधिनियम 1994 के प्रावधानों का उल्लघंन किया है। विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में विविल न्यायालय में विचाराधीन रहे प्रकरण में न्यायालय ने अपने निर्णय में उपरोक्त भूमि को बनवारीलाल व बाबुलाल की शामलाती भूमि माना है। इसके पक्ष में अधिवक्ता निगरानीकार ने सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.1971 में पारित निर्णय की प्रति प्रस्तुत की है। अन्त में निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत भीमसर के प्रस्ताव संख्या 2 आदेश दिनांक 22.01.2018 बाबत दिये जाने पट्टा बहक गैर निगरानीकार संख्या 3 लगायत 5 अपास्त फरमाया जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 3 लगायत 5 ने कथन किया कि ग्राम पंचायत भीमसर ने पंचायती राज अधिनियम 1994 में प्रदत नियमों के तहत विधि अनुरूप सही पट्टे जारी किये है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में निगरानी के संलग्न सिविल न्यायालय झुन्झुनू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.1971 से भी यह स्पष्ट है कि प्रकरण में विवादित भूमि शामलाती भूमि रही है तथा निगरानीकार भी उक्त भूमि में हिस्सेदार है। इससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत भीमसर द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 आदेश दिनांक 22.01.2018 बाबत दिये जाने पट्टा बहक गैर निगरानीकार संख्या 3 लगायत 5 जारी करते समय पंचायतीराज अधिनियम 1994 के प्रावधानों का पालन नही करते हुए गलत रूप से गैर निगरानीकार संख्या 3 लगायत 5 के हक में पट्टे जारी किये गयें है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम प्रकरण को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में प्रदत्त प्रावधानों के आलौक में निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण में ग्राम पंचायत भीमसर द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 3 लगायत 5 के नाम से जारी पट्टे प्रस्ताव संख्या 02 दिनांकित 22.01.2018 को निरस्त किया जाना उचित समझते है।

जिला कलक्टर
झुन्झुनू

अतः निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भीमसर द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 आदेश दिनांक 22.01.2018 बाबत दिये जाने पट्टा बहक गैर निगरानीकार संख्या 3 लगायत 5 को निरस्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि समस्त हितबद्ध पक्षकारान की विधि सम्मत प्रकिया की पालना करते हुए पुनः सुनवाई की जाकर पट्टे के संबंध में निर्णय लिया जाकर पट्टा जारी करे। रिकार्ड ग्राम पंचायत भीमसर फैसले की प्रति सहित आगामी कार्यवाही हेतु ग्राम पंचायत भीमसर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है कि पट्टो की पटटाबी में व रजिस्टर में पट्टा निरस्तीकरण का नोट लगाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.6.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार आर्य)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।